24 सितंबर, 2026

प्रेस विज्ञप्ति

लोक सभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनाव जीतने के बाद राजनीतक दल बदलने वाले वर्तमान सांसदों/विधायकों का विश्लेषण (वर्ष 2022 से 2026 की अवधि के लिए)

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स
प्लॉट नंबर ई–5, चौथी मंजिल,
लेन–1, वेस्टेंड मार्ग, सैदुलाजाब,
(साकेत मेट्रो गेट नंबर 2 के पीछे)
नई दिल्ली– 110030,
फोन नं.: 011–4165–4200
ईमेलः adr@adrindia.org

रिपोर्ट के मुख्य अंश

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच ने लोक सभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचित होने के बाद राजनीतिक दल बदलने वाले **111** वर्तमान सांसदों/विधायकों के शपथपत्रों का विश्लेषण किया है।

यह विश्लेषण वर्ष 2022 से 2026 के बीच हुए चुनावों तथा इस अवधि के दौरान आयोजित किए गए उपचुनावों पर आधारित हैं।

इस विश्लेषण के उद्देश्य से, निर्वाचित होने के बाद राजनीतिक दल बदलने वाले **111** वर्तमान सांसदों और विधायकों के मामलों को दल परिवर्तन की प्रकृति और प्रक्रिया के आधार पर सावधानीपूर्वक चार अलग–अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ये श्रेणियाँ हैं:

(i) व्यक्तिगत दल–बदल/पार्टी परिर्वतन, जिसमें किसी विधायक/सांसद के सदन से इस्तीफा दिए बिना स्वेच्छा से एक राजनीतिक दल छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो जाना;

(ii) राजनीतिक दल का विलय, जिसमें मूल राजनीतिक दल (या उसके विधायी दल के एक महत्वपूर्ण हिस्से) का औपचारिक रूप से किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो गया, जैसा कि नागालैंड में **NDPP-NPF** के मामलों में देखा गया;

(iii) इस्तीफा + उपचुनाव, जिसमें विधायक/सांसद ने पहले विधानसभा/संसद से इस्तीफा दिया, उसके बाद किसी नए राजनीतिक दल में शामिल हुआ और फिर उपचुनाव में उम्मीदवार में रूप में चुनाव लड़कर जीत हासिल की; तथा

(iv) अयोग्यता + उपचुनाव, जिसमें सदस्य को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया गया, बाद में वह किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हुआ और उपचुनाव के माध्यम से दोबारा उसी सीट से जीत हासिल की।

नोट: इस रिपोर्ट में सभी प्रासंगिक मामलों की पहचान कर उन्हें शामिल करने का हर संभव प्रयास किया गया है। हालांकि, व्यवस्थित एवं आसानी से उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अभाव में यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि यह सूची पूर्ण हो। अतः ऐसे अन्य प्रासंगिक मामले हो सकते हैं जो इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए हों।

''दल बदलने वाले सांसदों/विधायकों'' पर 09 सितंबर 2021 को जारी की पिछली रिपोर्ट में, 2014–2021 की अवधि का विश्लेषण किया गया था। (https://adrindia.org/content/analysis-re-contesting-candidates-and-mpsmlas-who-changed-parties-lok-sabha-and-assembly).

राजनीतिक दल बदलने वाले वर्तमान सांसद/विधायक (12 जुलाई 2026 तक)–चुनाववार

कुल 111 वर्तमान सांसदों/विधायकों ने वर्तमान लोक सभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचित होने के बाद अपने राजनीतिक दल बदले। इनमें 26 लोक सभा सांसद, 7 राज्यसभा सांसद और 78 विधायक शामिल हैं।

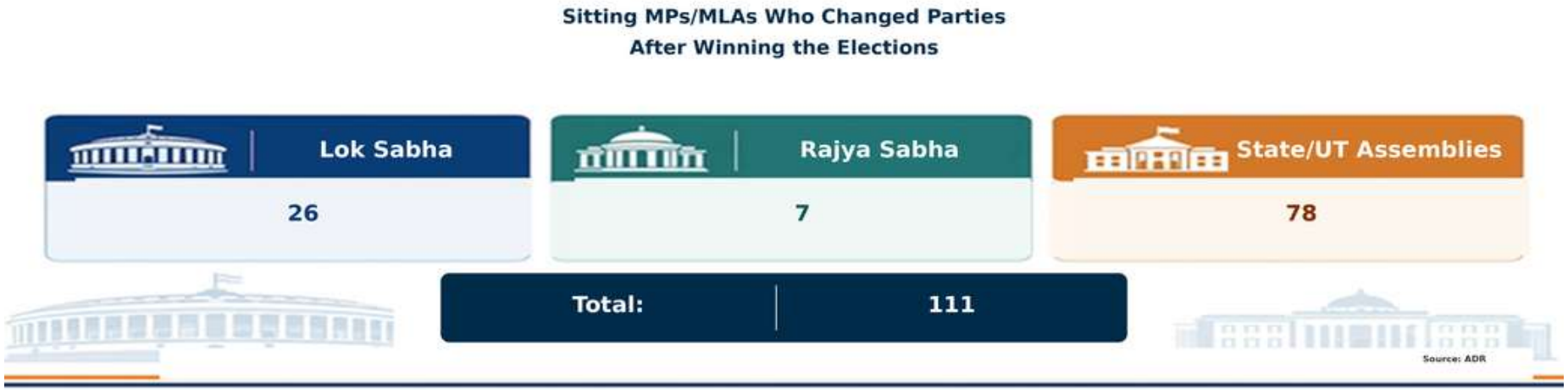

आलेखः चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दल बदलने वाले वर्तमान सांसद/विधायक

क्र0सं0	चुनाव	विश्लेषित किए गए कुल वर्तमान सांसद/विधायक	चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दल बदलने वाले वर्तमान सांसदों/विधायकों की कुल संख्या	चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दल बदलने वाले वर्तमान सांसदों/विधायकों का प्रतिशत
1	Lok Sabha	543	26	5%
2	Rajya Sabha	233	7	3%
3	State/UT Assemblies	4100	78*	2%
कुल		**4876**	**111**	**2%**

तालिकाः चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दल बदलने वाले वर्तमान सांसद/विधायक

78* *विधानसभा विधायकों के संबंध में नोटः* ***70*** *विधायकों ने निर्वाचित होने के बाद अपना राजनीतिक दल बदला, जबकि 8 विधायकों ने अपने कार्यकाल के दौरान राजनीतिक दल बदला और उसके बाद संबंधित उपचुनावों में जीत हासिल की।*

राजनीतिक दल बदलने वाले वर्तमान सांसद और विधायक–राज्यवार

- 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वर्तमान सांसदों/विधायकों ने राजनीतिक दल बदले।
- नागालैंड में राजनीतिक दल बदलने के सबसे अधिक 32 (29 प्रतिशत) मामले दर्ज किए गए, इसके बाद पश्चिम बंगाल में 20 (18 प्रतिशत) मामले दर्ज किए गए।

क्र0सं0	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	लोक सभा	राज्यसभा	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा	दल बदलने वाले सांसदों/विधायकों की कुल संख्या	दल बदलने वाले सांसदों/विधायकों का प्रतिशत
1	Nagaland	0	0	32	32	29%
2	West Bengal	20	0	0	20	18%
3	Telangana	0	0	9	9	8%
4	Goa	0	0	8	8	7%
5	Punjab	0	6	2	8	7%
6	Maharashtra	6	0	0	6	5%
7	Meghalaya	0	0	6	6	5%
8	Manipur	0	0	5	5	5%
9	Arunachal Pradesh	0	0	4	4	4%
10	Gujarat	0	0	4	4	4%

क्र0सं0	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	लोक सभा	राज्यसभा	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा	दल बदलने वाले सांसदों/विधायकों की कुल संख्या	दल बदलने वाले सांसदों/विधायकों का प्रतिशत
11	Himachal Pradesh	0	0	2	2	2%
12	Rajasthan	0	0	2	2	2%
13	Karnataka	0	0	1	1	1%
14	Madhya Pradesh	0	0	1	1	1%
15	NCT of Delhi	0	1	0	1	1%
16	Sikkim	0	0	1	1	1%
17	Uttar Pradesh	0	0	1	1	1%
कुल		**26**	**7**	**78**	**111**	**100%**

तालिका: राजनीतिक दल बदलने वाले सांसद और विधायक–राज्यवार

राजनीतिक दल बदलने वाले सांसद और विधायक –दलवार

- राजनीतिक दल बदलने के सबसे अधिक मामले मूल रूप से **NDPP** से निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच दर्ज किए गए, जिनकी संख्या 25 (23 प्रतिशत) थी। इसके बाद **AITC** के 20 (18 प्रतिशत) और **INC** के 19 (17 प्रतिशत) प्रतिनिधियों ने राजनीतिक दल बदला। **BRS** के 9 (8 प्रतिशत) प्रतिनिधियों ने दल बदला, जबकि **AAP** और **NCP** के प्रत्येक 7 (6 प्रतिशत) प्रतिनिधियों ने राजनीतिक दल बदला। **Shiv Sena (Uddhav Balasahab Thackeray)** के 6 (5 प्रतिशत) प्रतिनिधियों ने दल बदला, इसके बाद **JD(U)** के 5 (5 प्रतिशत) और **NPP** के 4 (4 प्रतिशत) प्रतिनिधियों ने राजनीतिक दल बदला।
- कुल मिलाकर, दल बदलने वाले 111 सांसदों/विधायकों में से 64 (58 प्रतिशत) **NDPP, AITC** और **INC** से थे।
- यह ध्यान देने वाली बात है कि हाल ही में कुछ राज्य विधानसभाओं में सरकारों के गिरने का कारण उनके विधायकों का दल बदलना था।

राजनीतिक दल छोड़ने वाले सांसद और विधायक–दलवार

मूल राजनीतिक दल	दल छोड़ने वाले लोक सभा सांसदों की संख्या	दल छोड़ने वाले राज्यसभा सांसदों की संख्या	दल छोड़ने वाले विधायकों की संख्या	दल छोड़ने वाले सांसदों/विधायकों की कुल संख्या	दल छोड़ने वाले सांसदों/विधायकों का प्रतिशत
NDPP	0	0	**25**	25	23%
AITC	**20**	0	0	20	18%
INC	0	0	**19**	19	17%
BRS	0	0	**9**	9	8%
AAP	0	**7**	0	7	6%
NCP	0	0	**7**	7	6%
ShivSena (Uddhav Balasaheb Thackeray)	**6**	0	0	6	5%
JD(U)	0	0	**5**	5	5%
NPP	0	0	**4**	4	4%
BSP	0	0	**2**	2	2%
PDF	0	0	**2**	2	2%
SAD	0	0	**2**	2	2%
Kalyana Rajya Pragathi Paksha	0	0	**1**	1	1%
Sikkim Democratic Front	0	0	**1**	1	1%
SP	0	0	**1**	1	1%
कुल	**26**	**7**	**78**	**111**	**100%**

तालिकाः राजनीतिक दल बदलने वाले सांसद और विधायक–दलवार

अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने वाले सांसद और विधायक–दलवार

- **NPF** में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक रही, जिसमें 32 (29 प्रतिशत) प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके बाद **BJP** में 29 (26 प्रतिशत) और **Nationalist Citizens Party of India** में 20 (18 प्रतिशत) प्रतिनिधि शामिल हुए। **INC** में 9 (8 प्रतिशत), जबकि **Shiv Sena** में 8 (7 प्रतिशत) प्रतिनिधि शामिल हुए। **NPP** और **PPA** में क्रमशः 6 (5 प्रतिशत) और 4 (4 प्रतिशत) प्रतिनिधि शामिल हुए।
- कुल मिलाकर, **NPF, BJP** और **Nationalist Citizens Party of India** में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 81 (73 प्रतिशत) रही, जो अन्य राजनीतिक दलों में शामिल होने वाले 111 सांसदों/विधायकों का 73 प्रतिशत है।

जिस दल में शामिल हुए	अन्य दल में शामिल होने वाले लोक सभा सांसदों की संख्या	अन्य दल में शामिल होने वाले राज्यसभा सांसदों की संख्या	अन्य दल में शामिल होने वाले विधायकों की संख्या	अन्य दल में शामिल होने वाले सांसदों/विधायकों की कुल संख्या	अन्य दल में शामिल होने वाले सांसदों/विधायकों का प्रतिशत
NPF	0	0	**32**	32	29%
BJP	0	**7**	**22**	29	26%
Nationalist Citizens Party of India	**20**	0	0	20	18%
INC	0	0	**9**	9	8%
Shiv Sena	**6**	0	**2**	8	7%
NPP	0	0	**6**	6	5%
PPA	0	0	**4**	4	4%
AAP	0	0	**1**	1	1%
AD(WPD)	0	0	**1**	1	1%
Sikkim Krantikari Morcha	0	0	**1**	1	1%
कुल	**26**	**7**	**78**	**111**	**100%**

तालिकाः अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने वाले सांसद और विधायक–दलवार

राजनीतक दल बदलने वाले वर्तमान सांसदों/विधायकों का पूर्ण विवरण

वर्तमान लोक सभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचित होने के बाद राजनीतिक दल बदलने वाले **111** वर्तमान सांसदों/विधायकों की सूची नीचे दी गई हैं।

क्र0 सं0	चुनाव	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कार्यकाल/निर्वाचन क्षेत्र	नाम	पिछला दल	वर्तमान दल	टिप्पणी
1	Rajya Sabha	NCT of Delhi	(2024-2030)	Swati Maliwal	AAP	BJP	Defected from AAP to BJP
2	Rajya Sabha	Punjab	(2022-2028)	Ashok	AAP	BJP	Defected from AAP to BJP
3	Rajya Sabha	Punjab	(2022-2028)	Harbhajan Singh	AAP	BJP	Defected from AAP to BJP
4	Rajya Sabha	Punjab	(2022-2028)	Raghav Chadha	AAP	BJP	Defected from AAP to BJP
5	Rajya Sabha	Punjab	(2022-2028)	Sandeep Kumar Pathak	AAP	BJP	Defected from AAP to BJP
6	Rajya Sabha	Punjab	(2022-2028)	Vikramjit Singh Sahney	AAP	BJP	Defected from AAP to BJP
7	Rajya Sabha	Punjab	(2025-2028)	Rajinder Gupta	AAP	BJP	Defected from AAP to BJP
8	Lok Sabha	MAHARASHTRA	HINGOLI	Aashtikar Patil Nagesh Bapurao	ShivSena (Uddhav Balasaheb Thackeray)	Shiv Sena	Switched from Shiv Sena (UBT) to Shiv Sena on 22 June 2026.
9	Lok Sabha	MAHARASHTRA	MUMBAI NORTH - EAST	Sanjay Dina Patil	ShivSena (Uddhav Balasaheb Thackeray)	Shiv Sena	Switched from Shiv Sena (UBT) to Shiv Sena on 22 June 2026.
10	Lok Sabha	MAHARASHTRA	OSMANABAD	Omprakash Bhupalsinh Alias Pavan Rajenimbalkar	ShivSena (Uddhav Balasaheb Thackeray)	Shiv Sena	Switched from Shiv Sena (UBT) to Shiv Sena on 22 June 2026.
11	Lok Sabha	MAHARASHTRA	PARBHANI	Jadhav Sanjay (Bandu) Haribhau	ShivSena (Uddhav Balasaheb Thackeray)	Shiv Sena	Switched from Shiv Sena (UBT) to Shiv Sena on 22 June 2026.

क्र0 सं0	चुनाव	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कार्यकाल/निर्वाचन क्षेत्र	नाम	पिछला दल	वर्तमान दल	टिप्पणी
12	Lok Sabha	MAHARASHTRA	SHIRDI (SC)	Bhausaheb Rajaram Wakchaure	ShivSena (Uddhav Balasaheb Thackeray)	Shiv Sena	Switched from Shiv Sena (UBT) to Shiv Sena on 22 June 2026.
13	Lok Sabha	MAHARASHTRA	YAVATMAL - WASHIM	Sanjay Uttamrao Deshmukh	ShivSena (Uddhav Balasaheb Thackeray)	Shiv Sena	Switched from Shiv Sena (UBT) to Shiv Sena on 22 June 2026.
14	Lok Sabha	WEST BENGAL	ARAMBAG (SC)	Mitali Bag	AITC	Nationalist Citizens Party of India	Switched from AITC to NCPI on 14 June 2026
15	Lok Sabha	WEST BENGAL	BAHARAMPUR	Pathan Yusuf	AITC	Nationalist Citizens Party of India	Switched from AITC to NCPI on 14 June 2026
16	Lok Sabha	WEST BENGAL	BANKURA	Arup Chakraborty	AITC	Nationalist Citizens Party of India	Switched from AITC to NCPI on 14 June 2026
17	Lok Sabha	WEST BENGAL	BARASAT	Kakoli Ghosh Dastidar	AITC	Nationalist Citizens Party of India	Switched from AITC to NCPI on 14 June 2026
18	Lok Sabha	WEST BENGAL	BARDHAMAN PURBA (SC)	Dr. Sharmila Sarkar	AITC	Nationalist Citizens Party of India	Switched from AITC to NCPI on 14 June 2026
19	Lok Sabha	WEST BENGAL	BARRACKPUR	Partha Bhowmick	AITC	Nationalist Citizens Party of India	Switched from AITC to NCPI on 14 June 2026
20	Lok Sabha	WEST BENGAL	BIRBHUM	Satabdi Roy	AITC	Nationalist Citizens Party of India	Switched from AITC to NCPI on 14 June 2026
21	Lok Sabha	WEST BENGAL	BOLPUR	Asit Kumar Mal	AITC	Nationalist Citizens Party of India	Switched from AITC to NCPI on 14 June 2026
22	Lok Sabha	WEST BENGAL	COOCH BEHAR (SC)	Jagadish Chandra Barma Basunia	AITC	Nationalist Citizens Party of India	Switched from AITC to NCPI on 14 June 2026

क्र0 सं0	चुनाव	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कार्यकाल/निर्वाचन क्षेत्र	नाम	पिछला दल	वर्तमान दल	टिप्पणी
23	Lok Sabha	WEST BENGAL	GHATAL	Adhikari Deepak (Dev)	AITC	Nationalist Citizens Party of India	Switched from AITC to NCPI on 14 June 2026
24	Lok Sabha	WEST BENGAL	HOOGHLY	Rachna Banerjee	AITC	Nationalist Citizens Party of India	Switched from AITC to NCPI on 14 June 2026
25	Lok Sabha	WEST BENGAL	HOWRAH	Prasun Banerjee	AITC	Nationalist Citizens Party of India	Switched from AITC to NCPI on 14 June 2026
26	Lok Sabha	WEST BENGAL	JADAVPUR	Sayani Ghosh	AITC	Nationalist Citizens Party of India	Switched from AITC to NCPI on 14 June 2026
27	Lok Sabha	WEST BENGAL	JANGIPUR	Khalilur Rahaman	AITC	Nationalist Citizens Party of India	Switched from AITC to NCPI on 14 June 2026
28	Lok Sabha	WEST BENGAL	JHARGRAM (ST)	Kalipada Saren Kherwal	AITC	Nationalist Citizens Party of India	Switched from AITC to NCPI on 14 June 2026
29	Lok Sabha	WEST BENGAL	KOLKATA DAKSHIN	Mala Roy	AITC	Nationalist Citizens Party of India	Switched from AITC to NCPI on 14 June 2026
30	Lok Sabha	WEST BENGAL	KOLKATA UTTAR	Bandyopadhyay Sudip	AITC	Nationalist Citizens Party of India	Switched from AITC to NCPI on 14 June 2026
31	Lok Sabha	WEST BENGAL	MATHURAPUR (SC)	Bapi Haldar	AITC	Nationalist Citizens Party of India	Switched from AITC to NCPI on 14 June 2026
32	Lok Sabha	WEST BENGAL	MEDINIPUR	June Maliah	AITC	Nationalist Citizens Party of India	Switched from AITC to NCPI on 14 June 2026
33	Lok Sabha	WEST BENGAL	MURSHIDABAD	Abu Taher Khan	AITC	Nationalist Citizens Party of India	Switched from AITC to NCPI on 14 June 2026
34	Assembly	ARUNACHAL PRADESH	Tawang	Namgey Tsering	NPP	PPA	Switched from NPP to PPA

क्र0 सं0	चुनाव	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कार्यकाल/निर्वाचन क्षेत्र	नाम	पिछला दल	वर्तमान दल	टिप्पणी
35	Assembly	ARUNACHAL PRADESH	Liromoba	Pesi Jilen	NPP	PPA	Switched from NPP to PPA
36	Assembly	ARUNACHAL PRADESH	Pasighat East	Tapi Darang	NPP	PPA	Switched from NPP to PPA
37	Assembly	ARUNACHAL PRADESH	Mariyang-Geku	Oni Panyang	NPP	PPA	Switched from NPP to PPA
38	Assembly	MEGHALAYA	Mylliem	Ronnie V. Lyngdoh	INC	NPP	Switched from INC to NPP
39	Assembly	MEGHALAYA	Mawhati	Charles Marngar	INC	NPP	Switched from INC to NPP
40	Assembly	MEGHALAYA	Umsning	Celestine Lyngdoh	INC	NPP	Switched from INC to NPP
41	Assembly	MEGHALAYA	Nongstoin	Gabriel Wahlang	INC	NPP	Switched from INC to NPP
42	Assembly	MEGHALAYA	SOHRA (ST)	Gavin Miguel Mylliem	PDF	NPP	PDF merged with NPP
43	Assembly	MEGHALAYA	MAWKYNREW (ST)	Banteidor Lyngdoh	PDF	NPP	PDF merged with NPP
44	Assembly	TELANGANA	Khairatabad	Danam Nagender	BRS	INC	Defected BRS to join INC
45	Assembly	TELANGANA	Station Ghanpur	Kadiyam Srihari	BRS	INC	Defected BRS to join INC
46	Assembly	TELANGANA	Bhadrachalam	Tellam Venkat Rao	BRS	INC	Defected BRS to join INC
47	Assembly	TELANGANA	Banswada	Pocharam Srinivas Reddy	BRS	INC	Defected BRS to join INC
48	Assembly	TELANGANA	Jagtial	M. Sanjay Kumar	BRS	INC	Defected BRS to join INC
49	Assembly	TELANGANA	Serilingampally	Arekapudi Gandhi	BRS	INC	Defected BRS to join INC
50	Assembly	TELANGANA	Chevella	Kale Yadaiah	BRS	INC	Defected BRS to join INC
51	Assembly	TELANGANA	Rajendranagar	Prakash Goud	BRS	INC	Defected BRS to join INC
52	Assembly	TELANGANA	Patancheru	Goodem Mahipal Reddy	BRS	INC	Defected BRS to join INC

क्र0 सं0	चुनाव	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कार्यकाल/निर्वाचन क्षेत्र	नाम	पिछला दल	वर्तमान दल	टिप्पणी
53	Assembly	GOA	Calangute	Michael Lobo	INC	BJP	Switched from INC to BJP on 14 September 2022
54	Assembly	GOA	Siolim	Delilah Lobo	INC	BJP	Switched from INC to BJP on 14 September 2022
55	Assembly	GOA	Saligao	Kedar Naik	INC	BJP	Switched from INC to BJP on 14 September 2022
56	Assembly	GOA	Santa Cruz	Rodolfo Louis Fernandes	INC	BJP	Switched from INC to BJP on 14 September 2022
57	Assembly	GOA	Cumbarjua	Rajesh Faldessai	INC	BJP	Switched from INC to BJP on 14 September 2022
58	Assembly	GOA	Mormugao	Sankalp Amonkar	INC	BJP	Switched from INC to BJP on 14 September 2022
59	Assembly	GOA	Nuvem	Aleixo Sequeira	INC	BJP	Switched from INC to BJP on 14 September 2022
60	Assembly	GOA	Margao	Digambar Kamat	INC	BJP	Switched from INC to BJP on 14 September 2022
61	Assembly	GUJARAT	Vijapur	C. J. Chavda	INC	BJP	Resigned on 19 January 2024 joined the BJP, and later contested the bye-elections
62	Assembly	GUJARAT	Porbandar	Arjun Modhwadia	INC	BJP	Resigned on 4 March 2024 joined the BJP, and later contested the bye-elections

क्र0 सं0	चुनाव	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कार्यकाल/निर्वाचन क्षेत्र	नाम	पिछला दल	वर्तमान दल	टिप्पणी
63	Assembly	GUJARAT	Manavadar	Arvindbhai Ladani	INC	BJP	Resigned on 6 March 2024 joined the BJP, and later contested the bye-elections
64	Assembly	GUJARAT	Khambhat	Chirag Patel	INC	BJP	Resigned on 19 December 2023 joined the BJP, and later contested the bye-elections
65	Assembly	HIMACHAL PRADESH	Dharamshala	Sudhir Sharma	INC	BJP	Disqualified on 28 February 2024 under the anti-defection law after cross-voting, then joined BJP and elected through bye election
66	Assembly	HIMACHAL PRADESH	Barsar	Inder Dutt Lakhanpal	INC	BJP	Disqualified on 28 February 2024 then joined BJP and elected through bye election
67	Assembly	MANIPUR	Thangmeiband	Khumukcham Joykisan Singh	JD(U)	BJP	Switched from JD(U) to BJP
68	Assembly	MANIPUR	Tipaimukh	Ngursanglur Sanate	JD(U)	BJP	Switched from JD(U) to BJP
69	Assembly	MANIPUR	Jiribam	Md. Achab Uddin	JD(U)	BJP	Switched from JD(U) to BJP
70	Assembly	MANIPUR	Wangkhei	Thangjam Arunkumar	JD(U)	BJP	Switched from JD(U) to BJP
71	Assembly	MANIPUR	Churachandpur	L. M. Khaute	JD(U)	BJP	Switched from JD(U) to BJP
72	Assembly	PUNJAB	Banga (SC)	Sukhwinder Kumar	SAD	AAP	Defected from SAD to AAP
73	Assembly	PUNJAB	Dakha	Manpreet Singh Ayali	SAD	AD(WPD)	Joined AD(WPD) from SAD.

क्र0 सं0	चुनाव	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कार्यकाल/निर्वाचन क्षेत्र	नाम	पिछला दल	वर्तमान दल	टिप्पणी
74	Assembly	UTTAR PRADESH	Unchahar	Manoj Kumar Pandey	SP	BJP	Switched from SP to BJP in 2024
75	Assembly	Sikkim	SHYARI (BL)	Tenzing Norbu Lamtha	Sikkim Democratic Front	Sikkim Krantikari Morcha	Switch from SDF to SKM
76	Assembly	Karnataka	GANGAVATHI	G Janardhan Reddy	Kalyana Rajya Pragathi Paksha	BJP	KRPP merges with BJP
77	Assembly	Madhya Pradesh	BINA (SC)	Adv. Nirmla Sapre	INC	BJP	Defected to BJP in May 2024
78	Assembly	Nagaland	DIMAPUR-II (ST)	Moatoshi Longkumer	NDPP	NPF	Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025
79	Assembly	Nagaland	DIMAPUR-III (ST)	Hekani Jakhalu	NDPP	NPF	Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025
80	Assembly	Nagaland	GHASPANI-II (ST)	Zhaleo Rio	NDPP	NPF	Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025
81	Assembly	Nagaland	PUNGRO KIPHIRE (ST)	S. Kiusumew Yimchunger	NDPP	NPF	Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025
82	Assembly	Nagaland	NORTHERN ANGAMI-I (ST)	Dr.Kekhrielhoulie Yhome	NDPP	NPF	Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025
83	Assembly	Nagaland	NORTHERN ANGAMI-II (ST)	Neiphiu Rio	NDPP	NPF	Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025

क्र0 सं0	चुनाव	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कार्यकाल/निर्वाचन क्षेत्र	नाम	पिछला दल	वर्तमान दल	टिप्पणी
84	Assembly	Nagaland	WESTERN ANGAMI (ST)	Salhoutuonuo Kruse	NDPP	NPF	Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025
85	Assembly	Nagaland	ANGETYONGPANG (ST)	Tongpang Ozukum	NDPP	NPF	Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025
86	Assembly	Nagaland	AONGLENDEN	Sharingain Longkumer	NDPP	NPF	Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025
87	Assembly	Nagaland	IMPUR (ST)	T N Mannen	NDPP	NPF	Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025
88	Assembly	Nagaland	JANGPETKONG (ST)	Temjenmenba	NDPP	NPF	Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025
89	Assembly	Nagaland	MOKOKCHUNG TOWN	Metsubo Jamir	NDPP	NPF	Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025
90	Assembly	Nagaland	MONGOYA	Imkongmar	NDPP	NPF	Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025
91	Assembly	Nagaland	TAPI (ST) : BYE ELECTION ON 07-11-2023	Wangpang Konyak	NDPP	NPF	Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025

क्र0 सं0	चुनाव	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कार्यकाल/निर्वाचन क्षेत्र	नाम	पिछला दल	वर्तमान दल	टिप्पणी
92	Assembly	Nagaland	TEHOK (ST)	C.L John	NDPP	NPF	Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025
93	Assembly	Nagaland	WAKCHING (ST)	W Chingang Konyak	NDPP	NPF	Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025
94	Assembly	Nagaland	PEREN (ST)	Taditui Rangkau Zeliang	NDPP	NPF	Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025
95	Assembly	Nagaland	CHAZOUBA (ST)	Kudecho Khamo	NDPP	NPF	Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025
96	Assembly	Nagaland	CHIZAMI (ST)	K. G Kenye	NDPP	NPF	Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025
97	Assembly	Nagaland	MELURI (ST)	Z.Nyusietho Nyuthe	NDPP	NPF	Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025
98	Assembly	Nagaland	SHAMATOR CHESSORE (ST)	S Keoshu Yimchunger	NDPP	NPF	Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025
99	Assembly	Nagaland	SANIS (ST)	Mhathung Yanthan	NDPP	NPF	Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025

क्र0 सं0	चुनाव	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कार्यकाल/निर्वाचन क्षेत्र	नाम	पिछला दल	वर्तमान दल	टिप्पणी
100	Assembly	Nagaland	AGHUNATO (ST)	G Ikuto Zhimomi	NDPP	NPF	Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025
101	Assembly	Nagaland	SATAKHA (ST)	G. Kaito Aye	NDPP	NPF	Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025
102	Assembly	Nagaland	ZUNHEBOTO (ST)	K Tokugha Sukhalu	NDPP	NPF	Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025
103	Assembly	Nagaland	TENNING (ST)	Namri Nchang	NCP	NPF	Switched from NCP to NDPP and Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025
104	Assembly	Nagaland	ATOIZU (ST)	Picto	NCP	NPF	Switched from NCP to NDPP and Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025
105	Assembly	Nagaland	SURUHUTO (ST)	S. Toiho Yeptho	NCP	NPF	Switched from NCP to NPF
106	Assembly	Nagaland	WOKHA (ST)	Y Mhonbemo Humtsoe	NCP	NPF	Switched from NCP to NDPP and Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025
107	Assembly	Nagaland	MON TOWN (ST)	Y Mankhao Konyak	NCP	NPF	Switched from NCP to NDPP and Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025

क्र0 सं0	चुनाव	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कार्यकाल/निर्वाचन क्षेत्र	नाम	पिछला दल	वर्तमान दल	टिप्पणी
108	Assembly	Nagaland	LONGLENG (ST)	A Pongshi Phom	NCP	NPF	Switched from NCP to NDPP and Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025
109	Assembly	Nagaland	NOKLAK (ST)	Puthai Longon	NCP	NPF	Switched from NCP to NDPP and Nationalist Democratic Progressive Party merged with NPF in Oct 2025
110	Assembly	Rajasthan	SADULPUR	Manoj Kumar S/O Swai Singh	BSP	Shiv Sena	Merged With Shiv Sena From BSP
111	Assembly	Rajasthan	BARI	Jaswant Singh Gurjar	BSP	Shiv Sena	Merged With Shiv Sena From BSP

तालिकाः राजनीतक दल बदलने वाले वर्तमान सांसदों/विधायकों का पूर्ण विवरण

* *इस रिपोर्ट में वर्तमान सांसदों/विधायाकों की सूची को विधानसभा, लोक सभा और राज्यसभा की वेबसाइटों और विकिपीडिया के अनुसार अपडेट किया गया हैं।*

एडीआर का अवलोकन

1. लोकतंत्र में 'लोगों की सरकार' सर्वोपरि होनी चाहिए, 'जहाँ पर नागरिकों का हित' राजनीतिक दलों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अब राजनेताओं के निजी हित कुछ समय से सर्वोपरि हो गए है। यह मौलिक सिद्धांत, भारत के संसदीय लोकतंत्र के अपराधीकरण की वजह से बिगड़ गया है। 'आया राम, गया राम' वाले लक्षण और 'सत्ता और पैसे की कभी न खत्म होने वाली भूख' हमारे विधायकों और राजनीतिक दलों के बीच एक आम बात बन गई है। दलों को बदलने के पीछे कुछ कारण इस प्रकार हैं;

I. मूल्यों पर आधारित राजनीति का अभाव
II. धन और सत्ता की लालसा
III. धनबल और बाहुबल के बीच मजबूत सांठगांठ
IV. पद का लालच
V. कुशल, ईमानदार और विश्वसनीय नेताओं की कमी
VI. राजनीतिक दलों के कामकाज पर मौन/कमजोर कानून
VII. दसवीं अनुसूची के तहत निर्णायक प्राधिकारी के रूप में अध्यक्ष/सभापति के निर्णय को लेकर चिंता, क्योंकि अध्यक्ष या सभापति आमतौर पर सत्तारूढ़ दल से होते हैं।
VIII. अयोग्यता से संबंधित मामलों में लंबे समय तक चलने वाली कानूनी कार्यवाही, जिससे दसवीं अनुसूची का निवारक प्रभाव कमजोर हुआ है।
IX. एक विशेष राजनेता के खिलाफ मुकदमा वापस लेने और राजनीति में अपराधियों के बेखौफ प्रवेश से सीआरपीसी की धारा 321 के तहत सत्ता का दुरुपयोग।

2. जब तक इन रुझानों में सुधार नहीं किया जाता है, तब तक हमारी वर्तमान चुनावी और राजनीतिक स्थिति और बिगड़ने के लिए बाध्य है। 'राजनीति के आचरण' में निष्पक्षता, स्वतंत्रता, दृढ़ता, समानता, अखंडता, ईमानदारी और विश्वसनीयता की आवश्यकता है। अगर हम उन कमियों को दूर करने में विफल रहते हैं जिनकी वजह से सांसद और विधायक दल–बदल करते हैं, तो सह लोकतंत्र का मजाक उड़ाने जैसा होगा। यह उपयुक्त समय है कि हमारे विधायक और राजनीतिक दल 'सुविधा और स्वयं के लाभ की राजनीति' का अंत करें और 'विश्वास, साहस और आम सहमति की राजनीति' का अभ्यास शुरू करें।

3. पश्चिम बंगाल में हाल के घटनाक्रम राजनीतिक नैतिकता और दलगत अनुशासन के बढ़ते संकट को और उजागर करते हैं। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद, जिसमें **AITC** कों बड़ा झटका लगा और वह विपक्ष में आ गई, पार्टी में भारी आंतरिक विभाजन देखने को मिला। इसके नवनिर्वाचित विधायकों की एक बड़ी संख्या आधिकारिक नेतृत्व से अलग हो गई और उन्होंने एक विरोधी गुट बना लिया, जिसने विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद सफलतापूर्वक हासिल

कर लिया। इसी दौरान, पार्टी के 20 लोक सभा सांसदों ने अपेक्षाकृत कम चर्चित **Nationalist Citizens Party of India (NCPI)** में विलय कर लिया और सत्तारूढ़ **NDA** को समर्थन दिया। इन घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप **AITC** प्रभावी रूप से आपस में प्रतिस्पर्धा करने वाले गुटों मे विभाजित हो गई है। चुनाव के बाद इस प्रकार बड़े पैमाने पर होने वाले ऐसे बदलाव–चाहे वह व्यक्तिगत रूप से दल बदलने या सामूहिक विलय के माध्यम से हो–एक बार फिर यह दर्शाता है कि मतदाताओं द्वारा दिए गए जनादेश को अक्सर सुविधा, सत्ता और अवसरवाद की राजनीति कमजोर कर देती है।

एडीआर की सिफारिशें

1. **संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधनः** दिनेश गोस्वामी समिति (1990), 170वीं विधि आयोग रिपोर्ट (1999), संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (**NCRWC**) रिपोर्ट (2002), जैसी विभिन्न समितियों की सिफारिशों के अनुसार, विधायी सदनों या संसद के सदस्यों द्वारा बार–बार दल बदलने की प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए, संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए और पीठासीन अधिकारी (अर्थात अध्यक्ष या सभापति) के बजाय, किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने का निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति (सांसदों के मामले में) या राज्यपाल (विधायकों के मामले में) द्वारा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अगले नए चुनाव या विधायिका के शेष कार्यकाल की अवधि तक सार्वजनिक कार्यालय या किसी भी पारिश्रमिक पद को हासिल करने से रोकने के लिए दल बदलने वाले के लिए एक प्रावधान किया जाना चाहिए। एक सरकार को गिराने के लिए एक दल बदलने वाले द्वारा डाले गए वोट को अमान्य माना जाना चाहिए। मंत्रिपरिषद में बहुत अधिक मात्रा में मंत्री होने की प्रथा को कानून द्वारा निषिद्ध करना चाहिए। किसी राज्य या केंद्र सरकार में मंत्रियों के सदन की कुल संख्या की अधिकतम सीमा का दस प्रतिशत तक तय की जानी चाहिए।

2. **दल–बदल करने वालों को सार्वजनिक पद ग्रहण करने से रोकने संबंधी कानूनः** दसवीं अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जब किसी विधायक/सांसद को दल–बदल के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है, या वह इस्तीफा देकर स्वेच्छा से अपना राजनीतिक दल बदलता है, तो उसे अप्रत्यक्ष या ''पिछले दरवाजे'' के माध्यम से दोबारा सार्वजनिक पद ग्रहण करने से रोका जाए। इसमें राज्यसभा, विधान परिषद या किसी अन्य सरकारी पद पर नामांकन भी शामिल हो, जब तक कि वह सामान्य चुनाव के माध्यम से विधिवत पुनः निर्वाचित न हो जाए। इस दौरान हुए उपचुनावों को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, निर्णय के लिए एक निश्चित वैधानिक समय–सीमा से संबंधित प्रावधान भी जोड़ा जाना चाहिए, जिसके तहत अयोग्यता याचिका प्रस्तुत किए जाने की तारीख से छह महीने के भीतर अयोग्यता याचिका पर निर्णय किया जाना अनिवार्य हो।

3. **राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में घोषित किया जाए:** राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं, संसद को चलाते हैं और देश का शासन चलाते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में राजनीतिक दलों को लाने से न केवल राजनीतिक दलों और पार्टी नेताओं के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही होगी, बल्कि यह नागरिकों को लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाने का भी मौका देगा। सार्वजनिक चरित्र, कर्तव्यों की प्रकृति और हमारे लोकतांत्रिक रूप से स्थापित राजनीतिक दलों द्वारा निभाई जा रही भूमिका के तहत 3 जून, 2013 को, सीआईसी ने आदेश दिया जिससे छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, **INC, BJP, CPI, CPI(M), NCP** ओर **BSP** को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया गया।

4. **राजनीतिक दलों के मामलों को विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता:** राजनीतिक दल हमारे संवैधानिक, लोकतांत्रिक, सामाजिक–आर्थिक गठन के अंतिम भंडार और संरक्षक हैं, लेकिन हमारे पास राजनीतिक दलों के साथ काम करने वाला एक भी कानून नहीं है। एक व्यापक कानून के अभाव में, नागरिक राजनीतिक वर्ग और राजनेताओं के कामकाज पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, उनका मूल्यांकन और ऑडिट नहीं कर सकते हैं। इसलिए, राजनीतिक दलों के कामकाज को विनियमित करने, उनकी पार्टी के संविधान की मान्यता, पार्टी के अंगों के विभिन्न स्तरों पर चुनाव, पंजीकरण और गैर–पंजीकरण की शर्तों, खातों के अनिवार्य रखरखाव, संगठनात्मक पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानून की सख्त आवश्यकता है। यह प्रावधान '170वें विधि आयोग की रिपोर्ट, भाग 3, अध्याय 1' और NCRW रिपोर्ट के अध्याय 8 में अनुशंसित है।

5. **चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की पूर्व घोषणा:** चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूचि चुनाव से 3 महीने पहले घोषित की जानी चाहिए और उन्हें किसी विशेष पार्टी को बदलने/शामिल होने और अगले चुनाव में उनके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि और उसके स्त्रोत के बारे में विशेष कारण बताते हुए शपथपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। यह सभी जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में लाई जानी चाहिए।

6. **राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र के लिए प्रावधानों का परिचय दें:** दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक होने के बावजूद, हमारे राजनीतिक दलों का कामकाज करने का तरीका बहुत अलोकतांत्रिक है। राजनीतिक दल अपने 'आचार संहिता' और स्वयं के लिए शुरू किए गए सुधार में बुरी तरह से विफल रहे हैं। इसलिए राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शी निर्णय लेने, टिकट वितरण, पदाधिकारियों के चुनाव, वित्तीय पारदर्शिता और मजबूत संगठनात्मक अनुशासन को लागू करने के लिए अनिवार्य प्रावधान किए जाने चाहिए। इसमें सभी आंतरिक पार्टी पदों और उम्मीदवारों के चयन के लिए सभी चुनावों के लिए गुप्त बैलेट मतदान अनिवार्य होना चाहिए, जैसा कि 170वें विधि आयोग की रिपोर्ट द्वारा सुझाया गया है।

7. **उम्मीदवारों के चयन के लिए मापदंड:** राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के चयन के लिए एक सख्त मापदंड होना चाहिए। 13 फरवरी, 2020 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, राजनीतिक दलों को पहले से ही उम्मीदवारों के चयन के लिए कारण बताने की आवश्यकता है और साफ छवि वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता है। निर्णय के अनुसार ऐसे चयन का कारण संबंधित उम्मीदवार की उपलब्धियों और योग्यता के संदर्भ में होना चाहिए और न की उसकी चुनाव ''जीतने'' की क्षमता।

8. **पुनः चुनाव लड़ने वाले सांसदों और विधायकों की संपत्ति का सत्यापनः** सांसदों और विधायकों और उनके परिवार के सदस्यों पति/पत्नी/बच्चे/अन्य आश्रित सहित की संपत्ति के सत्यापन के लिए सख्त व्यवस्था होनी चाहिए। खासतौर से जिन्होंने किसी विशेष राजनीतिक दल को बदल दिया/शामिल हो गए तो वहां देखा जाता है कि विशेष राजनीतिक दल को बदलने/छोड़ने के बाद एक सांसद/विधायक की संपत्ति में संदेहपूर्ण तरीके से वृद्धि होती है।

9. **विधायकों/सांसदों के न्यायालय में लंबित मामलों की फास्ट ट्रैकिंगः** सांसदों और विधायकों के खिलाफ सभी लंबित मामलों को तेजी से ट्रैक किया जाना चाहिए और 10 मार्च, 2014 और 1 नवंबर, 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार एक वर्ष की अवधि के भीतर निष्कर्ष पर लाया जाना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है ताकि राजनेता सीआरपीसी की धारा 321 के तहत सत्ता में आई पार्टी में केवल अपने मामलों को वापस लेने के इरादे मात्र से किसी विशेष राजनीतिक दल को बदलकर/शामिल न हो। इससे यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि धारा 321 के तहत दी गई ऐसी बेलगाम और मनमानी शक्ति का सरकारों द्वारा शक्तिशाली राजनेताओं, मंत्रियों और अन्य अमीर और शक्तिशाली लोगों के खिलाफ लंबित मामलों को वापस लेने का आदेश देकर दुरुपयोग तो नहीं किया जाता है।

10. **सांसदों और विधायकों की वार्षिक रिपोर्टः** निर्वाचित सांसदों और विधायकों को पिछले वर्ष की अपनी उपलब्धियों और अगले वर्ष की योजना का विवरण देते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक 'वार्षिक रिपोर्ट' प्रस्तुत करने की आवश्यकता होनी चाहिए। यह रिपोर्ट लोकसभा/राज्यसभा की वेबसाइट या चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा सकती है।

11. **फर्स्ट–पास्ट–द–पोस्ट, "पंजीकृत मतों का 50 प्रतिषत + 1":** कानून आयोग, NCRW, जैसी विभिन्न समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार 'किसी भी उम्मीदवार को तब तक निर्वाचित घोषित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह 50 प्रतिशत से अधिक मत हासिल नहीं कर लेता।' जब किसी उम्मीदवार को मतदाताओं की आवश्यक संख्या नहीं मिलती है, तो शीर्ष दो उम्मीदवारों के बीच अधिकतम वोट पाने के लिए स्पर्धा होनी चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि फर्स्ट–पास्ट–द–पोस्ट प्रणाली में किसी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए अपेक्षाकृत कम आवश्यकता होती है। अधिक कठोर आवश्यकता तथा उचित और समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आदर्श व्यवस्था पंजीकृत मतों का 50 प्रतिशत + 1 होनी चाहिए।

12. **दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों द्वारा चुनाव लड़ने की अस्वीकृतिः** NCRW (2001) द्वारा दी गई सिफारिश के अनुसार, शीर्षक "चुनाव और सुधारों के संबंध में विशेष रूप से राजनीतिक दलों के कामकाज की समीक्षा" से पैरा नंबर 8.7 (ई), उम्मीदवारों को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही कार्यालय के लिए एक साथ चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

13. **मंत्री स्तर पर कार्यालयों की संख्या बनाने की प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिएः** NCRW (2001) द्वारा दी गई सिफारिश के अनुसार, शीर्षक ''चुनाव और सुधारों के संबंध में विशेष रूप से राजनीतिक दलों के कामकाज की समीक्षा'' से पैरा नंबर 8.16 अंक संख्या 4, एक मंत्री के पद या विशेषाधिकारों के बराबर कई राजनीतिक पद बनाने की प्रथा को भी रोका जाना चाहिए। कोई भी नया प्रशासनिक संगठन केवल नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाया जाना चाहिए और केवल तभी जब प्रावधान संबंधित सरकार के नियमित बजट अनुमानों में किए गए हों।

14. **उम्मीदवारों के शपथपत्र की जानकारी राजनीतिक दलों द्वारा प्रमाणित होनाः** यह देखा गया है कि राजनीतिक दल उम्मीदवारों को किसी भी सार्वजनिक बहस या उनके प्राथमिक सदस्यों की भागीदारी के बिना बड़े पैमाने पर टिकट दे देते हैं, इसलिए उनके शपथपत्रों में प्रस्तुत जानकारी को राजनीतिक दलों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। यदि उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो राजनीतिक दल और उसके अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

15. **चुनाव से बाहुबल और धनबल के बीच की सांठगांठ को दूर करनाः** हमारे समाज में राजनेताओं, नौकरशाहों और आपराधिक तत्वों के बीच सांठगांठ बढ़ती जा रही है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव भारत में सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर महसूस किया जा रहा है। इसलिए, यह उपयुक्त समय है कि हमारे चुनावी और राजनीतिक प्रक्रिया में इस तरह के एक मजबूत आपराधिक–राजनीतिक–नौकरशाही सांठगांठ का ईमानदार, विश्वसनीय, स्वच्छ और योग्य उम्मीदवारों का चयन करके दृढ़ता से सामना किया जाए।

16. **आयकर अधिनियम की धारा 13ए के तहत दिए गए कर छूट को रद्द करनाः** वे राजनीतिक दल जो जानबूझकर अयोग्य, बेईमान, भ्रष्ट, धनी और दागी उम्मीदवारों को टिकट देते हैं। उनको कर में दी जाने वाली छूट को रद्द करना चाहिए। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की दिशा में एक अच्छा कदम होगा। इसके अलावा यदि चुनाव आयोग देखता है कि राजनीतिक दल जानबूझकर ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा करते है तो उनके पास राजनीतिक दल को गैर–पंजीकृत और अमान्य करने के लिए शक्ति होनी चाहिए।

17. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द किए जाने के फैसले के बाद, एक पारदर्शी राजनीतिक वित्त पोषण व्यवस्था की आवश्यकता है। जिसमें दान की राशि को इस प्रकार दिया जाए कि दानदाता की पहचान, दान की राशि और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल का पूरा विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो। इसके साथ ही, डिजिटल और सोशल मीडिया विज्ञापनों पर होने वाले खर्च सहित चुनावी व्यय का वास्तविक समय में खुलासा किया जाए तथा राजनीतिक दलों को मिलने वाले कॉरपोरेट और विदेशी–संबद्ध वित्त पोषण की आरटीआई/ऑडिट के जरिए सख्त जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए।

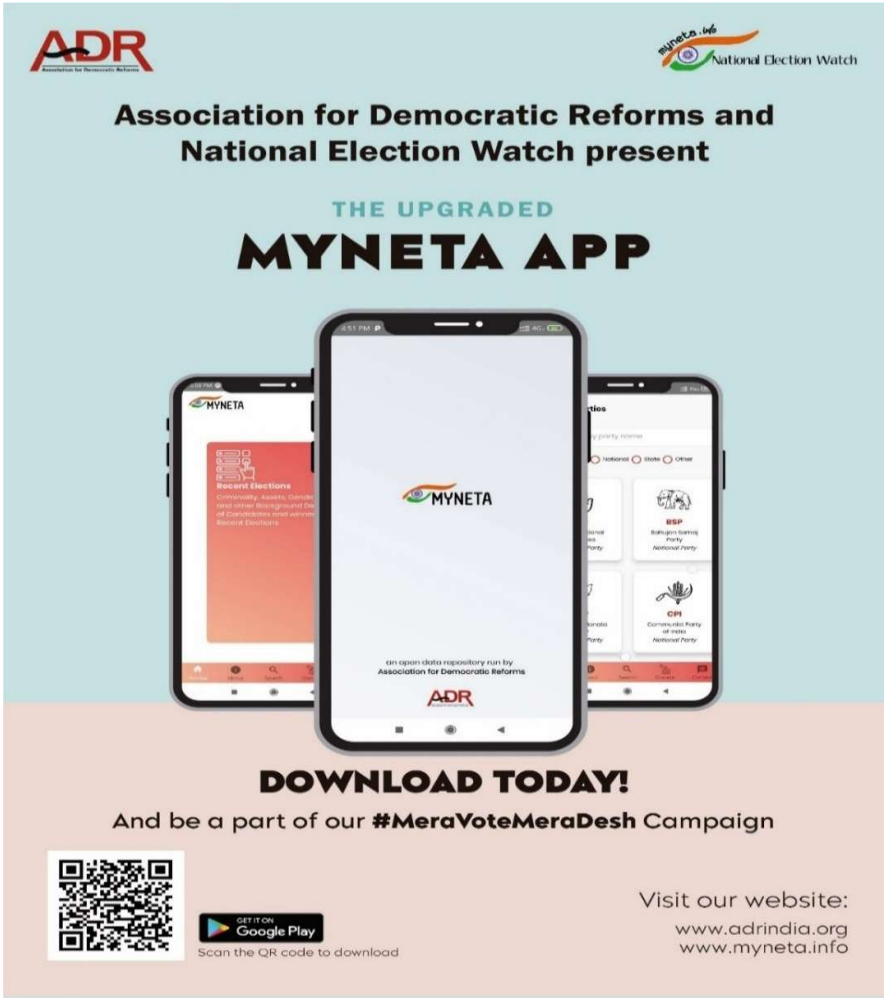
Association for Democratic Reforms and
National Election Watch present
THE UPGRADED
MYNETA APP
MYNETA
an open data repository run by
Association for Democratic Reforms
ADR
DOWNLOAD TODAY!
And be a part of our #MeraVoteMeraDesh Campaign
GET IT ON Google Play
Scan the QR code to download
Visit our website:
www.adrindia.org
www.myneta.info

ADR Association for Democratic Reforms
myneta.info National Election Watch

To get information about candidates/parties/MPs/MLAs/corporators/PILs in courts

Journalist Helpline no.-80103-94248
Subscribe to ADR on WhatsApp for updates: 7840067840

Visit: adrindia.org and myneta.info
Email: adr@adrindia.org

To contact ADR State Partners, visit: https://adrindia.org/about-adr/state-coordinators

Social Media Handles

/adr.new | @adrspeaks | @adrspeaks | @adrspeaks

https://www.linkedin.com/company/association-for-democratic-reforms/mycompany/

Our Websites

www.adrindia.org

Provides detailed analytical reports of Lok Sabha, State Assemblies, Local Body Elections & Financial Reports and ongoing PILs in courts

www.myneta.info

Provides full information of criminal cases, asset, liability and education details declared by candidates in the self sworn affidavits

Android App

MyNeta

The criminal, financial, educational & other background information self declared by candidates in their affidavits during elections is now available on your mobile phones

Office Address

Association for Democratic Reforms
Plot No. E-5, 4th Floor, Lane-1, Westend Marg,
Saidulajab, (Behind Saket Metro Gate No. 2),
New Delhi - 110030
Phone : +91-011-4165-4200

सम्पर्क:

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ए.डी.आर)/नेशनल इलेक्शन वॉच (एन.ई.डब्लयू)

मीडिया और पत्रकार हैल्पलाईन		+ 91 80103 94248	adr@adrindia.org
मेजर जनरल अनिल वर्मा (सेवानिवृत्त)	हेड/नेशनल कोर्डिनेटर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंव नेशनल इलेक्शन वॉच	011 4165 4200	adr@adrindia.org anilverma@adrindia.org
प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री अतिथि प्राध्यापक, आई.आई.एम बैंगलोर	अध्यक्ष, फाउण्डर और ट्रस्टी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंव नेशनल इलेक्शन वॉच		tsastry@gmail.com
डॉ. अजीत रानाडे	फाउण्डर मेम्बर और ट्रस्टी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंव नेशनल इलेक्शन वॉच		ajit.ranade@gmail.com

अस्वीकृति

इस रिपोर्ट में दी गयी संपूर्ण जानकारी को एडीआर द्वारा भारतीय चुनाव आयोग, लोक सभा, राज्यसभा तथा राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की वेबसाइट से प्राप्त किया गया है और सभी जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है। इन आधिकारिक स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी में एडीआर द्वारा न तो कोई जानकारी जोड़ी गई है और न ही हटाई गई है। विशेष रूप से, किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त जानकारी का उपयोग नही किया गया है। हालांकि एडीआर द्वारा यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए गए हैं कि दी गई जानकारी उपर्युक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार है। इस रिपोर्ट के माध्यम से एडीआर द्वारा दी गई जानकारी मे अन्तर होने पर इन वेबासाइटों में दी गयी जानकारी को सही माना जाए और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, नेशनल इलेक्शन वॉच और उनके स्वयंसेवक, इस रिपोर्ट प्रकाशन के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली किसी भी क्षति के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होंगे।